कार्यालय-नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, ललितपुर।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, परिसर ललितपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये ठेकों की नीलामी दिनांक 24.03.2026 को अपरान्ह 04:30 बजे से सभागार कक्ष, जनपद न्यायालय, ललितपुर में नीलामी समिति की देख-रेख में सम्पन्न की जायेगी।

विवरण नीलामीः-

01- कैंटीन (चाय, नमकीन, मीठा, चाट, फल जूस व शीतल पेय पदार्थ),

02- साइकिल स्टैण्ड जनपद न्यायालय परिसर, ललितपुर।

03- फोटोस्टेट/फोटोग्राफी/कम्प्यूटर कार्य के लिए

04- बाह्य न्यायालय महरौनी भवन की कैंटीन (चाय, नमकीन, मीठा, चाट, फल जूस व शीतल पेय)

नीलामी की शर्तेः-

01- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2025-26 के ठेके की धनराशि की 10% अधिक प्रारंभिक बोली लगानी होगी।

02- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2025-26 के ठेके की धनराशि का 20% सुरक्षा धनराशि के रूप में निम्न प्रकार जमा करना होगी।

क्रमांक	ठेके का विवरण	2025-26 की धनराशि	प्रारंभिक बोली की धनराशि
01.	कैंटीन, न्यायालय परिसर, जनपद न्यायालय, ललितपुर।	रु० 2,01,000/-	रु० 2,21,100/-
02.	साइकिल स्टैण्ड, न्यायालय परिसर, जनपद न्यायालय, ललितपुर।	रु० 91,500/- (वित्तीय वर्ष 2025-26)	रु०1,00,650/-
03.	फोटोस्टेट/फोटोग्राफी/कम्प्यूटर कार्य के लिए।	रु०1,15,000/- (वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25)	रु०63,300/- (वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए)
04.	कैंटीन, बाह्य न्यायालय, महरौनी जिला ललितपुर।	रु० 61,000/-	रु० 67,100/-

01- नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले ठेकेदार को नीचे अंकित चार्ट अनुसार धरोहर राशि जमा करनी होगी। यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति अपनी बोली पर स्थिर नहीं रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। जिस व्यक्ति के नाम ठेका नहीं होगा, उसकी जमा धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर वापस कर दी जायेगी।

02- उन बोली दाताओं को नीलामी में भाग लेने नहीं दिया जायेगा, जिन पर ठेकों के बावत पिछले वित्तीय वर्षों का कोई बकाया शेष हो।

03- बोली स्वीकृत होने पर **साइकिल स्टैण्ड हेतु नीलामी की पूर्ण धनराशि** तथा कैंटीन के ठेके की 50% राशि नीलामी समाप्त होने पर तुरन्त तथा शेष राशि दो समान किश्तों में जून व सितम्बर 2026 में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। उपरोक्तानुसार धनराशि न जमा कराने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर पुनः नीलामी की जा सकेगी।

04- प्रत्येक बोली दाता निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहेगा।

05- नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, ललितपुर को होगा।

06- नीलामी की प्रक्रिया को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात ही सम्पूर्ण मानी जायेगी।

07- नीलामी के अनुमोदन के पश्चात ठेका लेने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित ठेके के बावत अनुबन्ध अंकन 100 रु० के स्टाम्प पर नियमानुसार निष्पादित करा कर दाखिल करना होगा। स्टाम्प नीलाम क्रेता को स्वयं क्रय कर प्रस्तुत करना होगा।

08- प्रत्येक ठेकेदार को न्यायालय भवन के सामने गेट के पास सड़क के किनारे खाली भूमि में विनिर्दिष्ट स्थान प्रदान किया जायेगा। जिसमें ठेकेदार द्वारा अपना अस्थाई प्रबन्ध कर निर्धारित कार्य करेगें।

09- जो बोली दाता अधिकतम बोली बोलने के पश्चात व बोली स्वीकार करने के पश्चात नीलामी की शर्तों का अनुपालन नहीं करेगें तो उसकी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

10- यह आवश्यक नहीं है कि अधिकतम बोली लगाने वाला प्रत्येक दशा में स्वीकार किया जाये।

11- प्रत्येक बोली दाता को बोली बोलते समय अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड, एक फोटो तथा मोबाइल नम्बर जमा करना अनिवार्य होगा।

12- ठेका कैंटीन तथा साइकिल स्टैण्ड हेतु न्यायालय परिसर, ललितपुर व बाह्य न्यायालय महरौनी भवन में कैंटीन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये दिया जायेगा।

13- नीलामी की प्रक्रिया से उत्पन्न किसी भी वाद का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, ललितपुर को होगा।

14- कैंटीन हेतु विद्युत संयोजन स्वयं के व्यय पर लेना होगा। विद्युत संयोजन लेने व नीलामी स्वीकार होने के पश्चात उस व्यक्ति द्वारा विद्युत की रसीद/कनेक्शन संख्या कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व दाखिल करनी होगी। प्रतिष्ठान पर बिना वैध कनेक्शन के विद्युत संयोजन पाये जाने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

15- प्रत्येक बोलीदाता/ठेकेदार को इस आशय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।

16- जिस बोलीदाता/ठेकेदार के पक्ष में नीलामी अनुमोदित की जायेगी उसे अन्दर तीन दिवस में (कम से कम 01.04.2026 से प्रारम्भ) नियत निर्धारित स्थान पर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

<u>धरोहर राशि का विवरण निम्न तालिका में अंकित है :-</u>

क्रमांक	ठेके का विवरण	धरोहर राशि का विवरण	संचालित करने का स्थान
01.	कैंटीन, न्यायालय परिसर, जनपद न्यायालय, ललितपुर।	रु० 40,200/-	मुख्य गेट के पास खाली भूमि 40फीट लम्बी व 09 फीट चौड़ी
02.	साइकिल स्टैण्ड, न्यायालय परिसर, जनपद न्यायालय, ललितपुर।	रु० 18,300/-	मुख्य गेट के सामने कैंटीन व फोटोकापी ठेके के अलावा खाली भूमि (कैंटीन व ट्रांसफार्मर के बीच)
03.	फोटोस्टेट/फोटोग्राफी/कम्प्यूटर कार्य के लिए।	रु० 11,500/-	न्यायालय परिसर, ललितपुर में स्थित पी०एन०बी० ए०टी०एम० के बगल में।
04.	कैंटीन, बाह्य न्यायालय, महरौनी जिला ललितपुर।	रु०12,200/-	बाह्य न्यायालय, महरौनी कैंटीन भवन में

17- कोई भी ठेकेदार तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी तथा तंबाकू से निर्मित सामग्री नहीं बेंचेगे। इस संबंध में उन्हें लिखित अंडरटेकिंग देना होगी।

Sd/-
(यादवेन्द्र सिंह),
अध्यक्ष, नीलामी समिति,
अपर जिला जज-प्रथम, ललितपुर।

<u>प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।</u>

01- नाजिर सदर, कार्यालय जिला अधिकारी, ललितपुर।
02- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिसद, ललितपुर।
03- सहायक नाजिर,जनपद न्यायालय, ललितपुर।
04- जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को दैनिक समाचार पत्र में शासनादेश सं० 562/19–02–2007– 1007/74(T.C) (सूचना अनुभाग 02 लखनऊ) दिनांकित 04.07.2007 के अनुपालन में प्रकाशन किये जाने हेतु प्रेषित।
05- सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, ललितपुर को जनपद न्यायालय ललितपुर व माननीय उच्च न्यायालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
06- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, महरौनी।
07- उप नाजिर, बाह्य न्यायालय, महरौनी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
08- श्री राहुल कुशवाहा पुत्र श्री राम सिंह, (ठेकेदार कैंटीन न्यायालय परिसर, ललितपुर।)
09- श्री दीपक चौरसिया पुत्र श्री रवि नारायण, (ठेकेदार साइकिल स्टैण्ड)
10- श्री विनोद कुमार पुत्र श्री लखन लाल, (ठेकेदार फोटोकॉपी/फोटोग्राफी/कम्प्यूटर कार्य) न्यायालय परिसर, ललितपुर।
11- श्री सौरभ सोनी पुत्र श्री अखलेश सोनी, (ठेकेदार कैंटीन बाह्य न्यायालय, महरौनी)
12- ग्राम न्यायालय, तालबेहट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

आज्ञानुसार नीलामी समिति,

Sd/-
केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय, ललितपुर ।